(3)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर.ए.एस

निगरानी सं0 20/17 दायर दिनांक: 20.12.2017

अनवान :–

1. दयाराम पुत्र सुलतान जाति जाट ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. राजेश पुत्र मांगेराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. रामनारायण पुत्र उदमीराम जाति जाट साकिन ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. जगदीश पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
2. दलीपसिंह पुत्र सुमाराम जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

– रेस्पोडेन्टगण

निगरानी विरूद्ध आदेश मातहत अदालत पंचायत समिति नोहर मि.सं. 38/2017 जगदीश बनाम दयाराम आदि निर्णय दिनांक 06.12.2017 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री मांगेराम , अभिभाषक प्रार्थीगण

2. श्री रवि गोदारा, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय दिनांक: 06.02.2018

निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः–

यह कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान के स्थाई निवासी है तथा हमारे नाम से ग्राम पंचायत ढिलकी जाटान के द्वारा सदामत से कब्जाशुदा भूखण्ड जिस पर दयाराम, राजेश व रामनारायण बुजूर्गो के वक्त से ही काबिज है वहां हमने मकान बना रखे है। बिजली पानी के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

कनेक्शन ले रखे है तथा शांति पूर्वक हम पूर्णत्या काबिज है का हमारे नाम से अलग दयाराम के नाम से दिनांक 02.06.2006 को राजेश के नाम से दिनांक 10.06.2005 को तथा रामनारायण के नाम से दिनांक 15.07.2006 के पट्टे बनाये गये है। रेस्पोडेन्ट ने राजनैतिक रंजिशवश हमारे उक्त पट्टो के खिलाफ एक अपील संख्या 38/2017 जगदीश बनाम दयाराम आदि इस आशय की पेश की है कि उक्त पट्टे सार्वजनिक जगहो पर चौक की जगह पर अवैध रूप में बनाये गये है जिनको खारिज किया जावे। अपील दर्ज होने के बाद बिना सुनवाई किये मनमर्जी से एक पक्षीय तौर पर दिनांक 06.12.2017 को हमारे पट्टो को निरस्त कर दिया गया जो निम्न आधारो पर अपास्त योग्य है।

1. यह कि मातहत अदालत का निर्णय मनमाना व स्वेच्छाचारिता पूर्ण है तथा यह निर्णय न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नही आता है।
2. यह कि मातहत अदालत पंचायत समिति ने विधि विरूद्ध तरीके से तीनो अपीलार्थीगणो के पट्टो जो अलग अलग दिनांक में बनाये गये थे एक साथ ही पत्रावली बनाकर खारिज कर दिये। जबकि सबको अलग अलग सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था।
3. यह कि मातहत अदालत ने बिना सुनवाई किये तथा बिना मौका निरीक्षण किये मात्र रेस्पोडेन्ट के कहने से बिना मौका पर जाये इनके बताये अनुसार रिपोर्ट तैयार कर पट्टे खारिज किये है जो निरस्त योग्य है।
4. यह कि मातहत अदालत ने मौका निरीक्षण की रिपोर्ट झूठी व मनघडत तैयार की है जिस पर हमारे हस्ताक्षर नही है इसलिए उक्त निर्णय खारिज योग्य है।
5. यह कि उक्त पट्टा सन् 2005,2006,2007 के है जो अन्दर मियाद नही होते हुए भी अपील स्वीकार करके भारी भूल की है जो खारिज योग्य है।
6. यह कि उक्त निगरानी दिनांक 06.12.2017 के निर्णय के खिलाफ है जो अन्दर मियाद है तथा न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश है।
7. यह कि अपील के अन्य बिन्दु वरवक्त बहस निवेदन कर दिये जायेगे अतः निगरानी पेश करके निवेदन है कि पंचायत समिति नोहर का निर्णय दिनांक 06.12.2017 अपील संख्या 38/2017 निरस्त फरमावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान एवं रिकार्ड की तल्बी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(5)

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी में दर्ज बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ पंचायत समिति ने निर्णय दिनांक 06.12.2017 विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध पारित किया है। जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण ग्राम का वासिंदे है तथा पुराने कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत से आवासीय पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया जिस पर ग्राम पंचायत ने जांच करके को प्रार्थीगण के पक्ष में आवासीय भूमि का पट्टा जारी किया था उस वक्त ग्राम के किसी व्यक्ति ने एतराज नही किया था। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित स्थल पर प्रार्थीगण का कोई निर्माण नही माना जबकि वहां पर प्रार्थीगण के वर्षो पुराने मकान बने हुये है। प्रार्थीगण के पट्टे राजनैतिक दबाव के कारण निरस्त किये गये है। पंचायत समिति ने प्रार्थीगण के पट्टो को सार्वजनिक चौक की भूमि में होना मानते हुये चौक की हद तक आंशिक तीनो प्रार्थीगण के 14ग12, 14X58, 14X59 फुट के पट्टे खारीज किये है। उक्त पट्टो के खारीज होने से ग्राम पंचायत प्रार्थीगण के निर्माणशुदा मकान को हटाने पर आमदा है व प्रार्थीगण अपने आवास से भी महरूम हो जायेगे तथा गांव में अन्यत्र कोई ओर आवास नही है।

अतः निगरानी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खारीज फरमाया जाकर। प्रार्थीगण के पट्टो को बहाल रखने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम ढिलकी में 30X200 फुट का सार्वजनिक चौक है उक्त चौक में ग्रामवासी विवाह शादी में टेन्ट लगाते है व अन्य सार्वजनिक उपयोग में लेते है उक्त चौक में प्रार्थी ने ग्राम पंचायत से मिलकर रिहायशी मकान का पट्टा जारी करवा लिया। उक्त पट्टा सार्वजनिक चौक की जगह को शामिल करते हुये बनाया गया है। उक्त पट्टे पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत जारी किये गये है जो पुराने कब्जा व मकान निर्माण कर निवास होने की स्थिति में ही जारी किये जा सकते है जबकि मौके पर कोई निर्माण नही है। पंचायत समिति ने जांच करने के पश्चात् प्रार्थीगण के पट्टे सार्वजनिक चौक की भूमि को शामिल कर बनाये होने के कारण सार्वजनिक चौक की हद तक खारीज किये है जो सही है। अतः निगरानी खारीज फरमावें।

हमने बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया अधिनस्थ न्यायालय में अपने निर्णय में प्रार्थीगण के पट्टो को सार्वजनिक चौक की भूमि में होना मानते हुये खारिज किये है। सार्वजनिक चौक की भूमि अगर पट्टे रहते है तो सार्वजनिक चौक समाप्त हो जायेगा जिससे ग्रामवासीयो को असुविधा होगी। हमारे स्वंय द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया था प्रार्थीगण के पट्टे सार्वजनिक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

चौक की भूमि के पास में है जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच प्रार्थीगण के पट्टो को सार्वजनिक चौक की भूमि को शामिल करते हुये बनाये जाने के कारण सार्वजनिक चौक की भूमि की हद तक प्रार्थीगण के पट्टे आंशिक खारीज किये है।

अतः हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप व परिवर्तन की आवश्यकता नही समझते है। निगरानी प्रार्थीगण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारीज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर